[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचना संख्या 59/2017-सीमाशुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, 29 जून,2017

सा.का.नि. (अ) सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 3 और 4 के साथ पठित, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 75 की उपधारा (2), केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 की उपधारा (2) और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93क और धारा 94 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 131/2016-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 31 अक्तूबर,2016, जिसे सा.का.नि. 1018(अ), दिनांक 31 अक्तूबर,2016 के तहत प्रकाशित किया गया था, में पुनः निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क)नोट्स और शर्तों में,-

(i) पैराग्राफ 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"(6) परियोजना निर्यात (जिसमे टर्नकी निर्यात अथवा आपूर्ति शामिल है) के अंतर्गत निर्यात उत्पाद जो कर विजक के साथ आता है और जिसके लिए उक्त अनुसूची के कॉलम (5) और (7) में कोई आंकड़े नहीं दर्शाये गए हैं, की घोषणा निर्यातक द्वारा की जाएगी और उक्त अनुसूची के अंतर्गत मिलने वाला अधिकतम प्रतिअदायगी का लाभ कॉलम (4) और (6) में दर्शाये गए यथा मूल्य दर से कर विजक मूल्य के डेढ़ गुणा पर की गई संगणना से अधिक नहीं होगा ।";

(ii) पैराग्राफ (11) में, उपवाक्य (ख) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्यों को अंतस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"(ग) निर्यात उत्पाद पर या निर्यात उत्पाद के निर्माण में प्रयोग किए गए आदानों या आदान सेवाओं पर केंद्रीय माल और सेवा कर या एकीकृत माल और सेवा कर का इनपुट क्रेडिट लेने के पश्चात किया गया निर्यात;

(घ) निर्यात पर भुगतान किए गए एकीकृत माल और सेवा कर के रिफंड का दावा करते हुए किया गया निर्यात;

(ड.) निर्यात ऐसे निर्यात कर्ता के द्वारा किया गया हो जो कि निर्यात उत्पाद पर या निर्यात उत्पाद के निर्माण में प्रयोग किए गए आदान या आदान सेवाओं पर प्राप्त सेनवेट क्रेडिट को केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का 12) के अंतर्गत अग्रसारित कर दिया हो।";

(iii) पैराग्राफ (12) के पश्चात निम्नलिखित पै्राग्रफ को अंत: स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(12क) उक्त अनुसूची के कॉलम (4) और (5) में दिए गए प्रति अदायगी की दर और सीमा किसी वस्तु या उत्पाद के निर्यात पर तब लागू होगी जब निर्यात कर्ता निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करेगा:-

(क) निर्यात कर्ता सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क या उप आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष उसकी संतुष्टी के स्तर तक, इस बात की घोषणा करेगा या यदि आवश्यक हुआ तो सिद्ध करेगा कि किसी निर्यात उत्पाद पर या किसी निर्यात उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त आदान या आदान सेवा पर केंद्रीय माल और सेवा कर या एकीकृत माल और सेवा कर का इनपुट क्रेडिट नहीं लिया गया है;

(ख) यदि वस्तु का निर्यात किसी बंधपत्र या लैटर ऑफ अंडरटेकिंग या एकीकृत माल और सेवा कर के भुगतान के तहत किया गया हो तो ऐसे माल और सेवा कर अधिकारी, जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसा निर्यात कर्ता आता हो से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निर्यात उत्पाद पर या निर्यात उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त आदान या आदान सेवा पर केंद्रीय माल और सेवा कर या एकीकृत माल और सेवा कर का कोई इनपुट क्रेडिट नहीं लिया गया है या न ही निर्यात उत्पाद पर भुगतान किए गए एकीकृत माल और सेवा कर के रिफंड का दावा ही किया जाएगा;

(ग) ऐसे माल और सेवा कर अधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसा निर्यात कर्ता आता हो से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निर्यात कर्ता ने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के अंतर्गत निर्यात उत्पाद पर या निर्यात उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त आदान या आदान सेवा पर किसी सेनवेट क्रेडिट की राशि को अग्रसारित नहीं किया है।";

(iv) पैराग्राफ (17) में, "ब्लीच्ड" शब्द के पश्चात "या सम्मिश्रित" शब्द जोड़ा जाएगा;

(ख) पैराग्राफ 4 में, निम्नलिखित शर्त को अंत: स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"बशर्ते कि इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात दिनांक 30 सितंबर, 2017 के पश्चात लागू नहीं होगी।";

(ग) अनुसूची में,-

(i) अध्याय – 3 में, टैरिफ मद 030402 में,-

(क) कॉलम (6) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “3.4%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “10.5” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) अध्याय – 3 में, टैरिफ मद 030601 में,-

(क) कॉलम (6) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “2.7%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “21.6” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) अध्याय – 3 में, टैरिफ मद 030602 में,-

(क) कॉलम (6) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “2.1%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “57.2” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) अध्याय – 3 में, टैरिफ मद 030603 में,-

(क) कॉलम (6) के अंकों के स्थान पर, प्रविष्टि 2.4%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (7) के अंकों के स्थान पर, प्रविष्टि “24” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) अध्याय – 3 में, टैरिफ मद 030604 में,-

(क) कॉलम (6) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “2.7%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “46.6%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) अध्याय – 3 में, टैरिफ मद 030605 में,-

(क) कॉलम (6) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “2.1%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “10.9” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vii) अध्याय – 15 में, टैरिफ मद 150401 में,-

(क) कॉलम (6) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “2.1%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “2.1” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(viii) अध्याय – 16 में, टैरिफ मद 160401 में,-

(क) कॉलम (6) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “3.4%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “10.5” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ix) अध्याय – 23 में, टैरिफ मद 230101 में,-

(क) कॉलम (6) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “2.1%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “2.1” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(x) अध्याय – 41 में, टेरिफ मद 411202 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित टेरिफ मद और प्रविष्टियों को अंत: स्थापित किया जाएगा, यथा:-

“411299	अन्य		1.2%		1.2%”;	

(xi) अध्याय – 52 में, टैरिफ मद 520901 में, कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “7” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xii) अध्याय – 54 में, टैरिफ मद 540701 में,-

(क) कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “66” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “13.2” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiii) अध्याय – 54 में, टैरिफ मद 540702 में,-

(क) कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “72” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “15.8” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiv) अध्याय – 54 में, टैरिफ मद 540703 में,-

(क) कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “57” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “11.1” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xv) अध्याय – 54 में, टैरिफ मद 540704 में,-

(क) कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर “60” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर “12.9” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xvi) अध्याय – 55 में, टैरिफ मद 550905 में,-

(क) कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “72” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “12.9” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xvii) अध्याय – 55 में, टैरिफ मद 550906 में,-

(क) कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “79” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “17” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xviii) अध्याय – 56 में, टैरिफ मद 560802 में,-

(क) कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “11%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “64” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) कॉलम (6) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “2.8%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “16” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xix) अध्याय – 61 में -

(क) टैरिफ मद 610304 में, कॉलम (2) में, शब्द “लेगिंग” को हटा दिया जाएगा;

(ख) टैरिफ मद 610404 में, कॉलम (2) में, शब्द “लेगिंग” को हटा दिया जाएगा;

(ग) टैरिफ मद 611501, 611502, 611503, 611504, 611505, 611506, 611507 और 611599 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टयों को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“611501	**लेगिंग**					
61150101	सूत के	नग	7.7%	47	2%	12.2
61150102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	9.5%	55	2.5%	14.5
61150103	मानव निर्मित तंतु के	नग	9.9%	57	2.5%	14.4
61150104	रेशम के (नॉयल रेशम को छोड़ कर)	नग	7.6%	80	4.8%	50.5
61150105	ऊन के	नग	8.7%	80	3.5%	32.2
61150106	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	8.7%	80	3%	27.6
61150107	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	8%	50	2%	12.5
61150199	अन्यों के	नग	7.6%	44	2%	11.6
611502	**अन्य**					
61150201	सूत के	कि.ग्रा.	7.6%	140	2%	36.8
61150202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	9.5%	160	2.5%	42.1
61150203	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	9.8%	180	2.5%	45.9
61150204	रेशम के (नॉयल रेशम को छोड कर)	कि.ग्रा.	7.6%	510	4.8%	322.1

61150205	ऊन के	कि.ग्रा.	8.7%	180	3.5%	72.4
61150206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	8.7%	180	3%	62.1
61150207	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	कि.ग्रा.	8%	160	2%	40
61150299	अन्य	कि.ग्रा.	7.6%	130	2%	34.2";

(xx) अध्याय 75 में, टैरिफ मद 7501, 7502, 7504, 7505, 7506, 7507 और 7508 में, कॉलम (6) की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमश: प्रविष्टि "0.15%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:- ;

(xxi) अध्याय – 94 में टैरिफ मद 940402 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियों को अंत: स्थापित किया जएगा, :-

"940403	पोलीफिल से भरे अन्य तकिए/गद्दे/ रजाईयां/ पफल्स	Kg	8.6%	100	2.2%	25";

(xxii) अध्याय – 95 में, टैरिफ मद 950611 में,-

(क)कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "11%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख)कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "64" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) कॉलम (6) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.8%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "16" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) सारणी में, अध्याय – 61 में -

(क) टैरिफ मद 610304 में, कॉलम (2) में, शब्द "लेगिंग" को हटा दिया जाएगा;

(ख) टैरिफ मद 610404 में, कॉलम (2) में, शब्द "लेगिंग" को हटा दिया जाएगा;

(ग) टैरिफ मद 611501, 611502, 611503, 611504, 611505, 611506, 611507 और 611599 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टयों को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"611501	**लेगिंग**					
61150101	सूत के	नग	3.3%	28.2	0.9%	7.7
61150102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	4.2%	34.0	1.2%	9.7

61150103	मानव निर्मित तंतु के	नग	4.3%	34.7	1.2%	9.7
61150104	रेशम के (नॉयल रेशम को छोड़ कर)	नग	1.3%	19.2	0.4%	5.9
61150105	ऊन के	नग	3.9%	50.2	1.1%	14.2
61150106	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	3.9%	50.2	1.1%	14.2
61150107	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	नग	3.3%	28.9	0.9%	7.9
61150199	अन्यों के	नग	3.3%	26.7	0.9%	7.3
611502	**अन्य**					
61150201	सूत के	कि.ग्रा.	3.5%	90.3	0.9%	23.2
61150202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	4.2%	99.0	1.2%	28.3
61150203	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	4.2%	108.0	1.2%	30.9
61150204	रेशम के (नॉयल रेशम को छोड कर)	कि.ग्रा.	1.3%	122.1	0.4%	37.6
61150205	ऊन के	कि.ग्रा.	3.5%	101.4	0.9%	26.1
61150206	ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	3.6%	104.3	1.0%	29.0
61150207	सूत के जिसमें 1% अथवा इससे अधिक वजन का स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन हो	कि.ग्रा.	3.5%	98.0	0.9%	25.2
61150299	अन्य	कि.ग्रा.	3.5%	83.8	0.9%	21.6”.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 जुलाई, 2017 से लागू होगी।

(फा.सं. 609/43/2017-डीबीके)

(**आनंद कुमार झा**)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 131/2016-सीमा शुल्क(गै.टे.) को सा.का.नि. 1018(अ) दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (1) में

प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 41/2017-सीमा शुल्क (गै.टे.), सा.का.नि. 408(अ) दिनांक 26 अप्रैल,2017, के द्वारा संशोधन किया गया है।